

मद 4 (1) (ख) - (v)

अपने कार्य के निर्वहन के लिए इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रण में रखे गए अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश मैनुअल और रिकार्ड

कृपया अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियमों, विनियमों, अनुदेश, मैनुअलों और अभिलेखों की सूची प्रदान करें।

5.1 पारेषण और वितरण प्रभाग

5.1.1 आरईसी द्वारा पी :एसआई स्कीमों के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश।

5.1.2 आरईसी की स्कीमों की स्वीकृति वापस लेने, रद्द करने और बंद करने हेतु दिशानिर्देश।

5.1.3 तंत्र सुधार-बल्कलोन(एसआई-बल्क)स्कीमों की श्रेणी के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश।

5.2 आरजीजीवीवाई प्रभाग

5.2.1 विद्युतीकृत किए जाने वाले शेष अविद्युतीकृत गांवों सहित राज्य में संयुक्त परियोजनाओं के लिए, परियोजनाएं तैयार करने के दिशानिर्देश।

5.2.2 शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण स्तर वाले राज्यों में विद्युतीकृत गांवों के लिए परियोजनाएं तैयार करने हेतु दिशानिर्देश।

5.2.3 विद्युतीकृत गांवों के प्रोजेक्ट क्षेत्रों में अनुपूरक परियोजनाओं के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिशानिर्देश।

5.2.4 सामान सेवाओं के प्रापण के लिए तथा आरईसी के विनिर्देशों एवं निर्माण मानकों में संशोधन के लिए दिशा-निर्देश।

5.3 विद्युत उत्पादन प्रभाग

5.3.1 प्राइवेट आईपीपी के लिए ऋण आवेदन फार्म।

5.3.2 सरकारी/सार्वजनिक कंपनियों/राज्य बिजली बोर्डों के लिए ऋण आवेदन फार्म।

5.4 मॉनीटरिंग प्रभाग

5.4.1 पारेषण एवं वितरण स्कीमों तथा विद्युत उत्पादन स्कीमों की मॉनीटरिंग के लिए दिशानिर्देश।

5.4.2 आरईसी के निर्माण मानक और विनिर्देशन (इलेक्ट्रॉनिक फार्म में)

5.5 कार्मिक प्रभाग

5.5.1 आरईसी सेवा नियमावली।

5.5.2 आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली

5.5.3 शक्तियों का प्रत्यायोजन।

5.6 कंपनी सचिवालय प्रभाग

5.6.1 संस्था की अंतर्नियमावली और संस्था के अंतर्नियम

5.6.2 वार्षिक रिपोर्ट

5.6.3 ऋण नीति संबंधी परिपत्र

5.6.4 सूचीकरण करार(थोक उधार बाजार के लिए)

5.6.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना

5.6.6 सेबी के दिशानिर्देश

5.6.7 आईएसओ शीर्ष गुणता मैनुअल

5.6.8 कंपनी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अद्यतन संशोधन(अपडेट्स)

5.6.9 सूचीकरण करार (पूंजी बाजार)

- 5.6.10 आरईसी में कपट को रोकने की नीति।
- 5.6.11 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी की आचरण संहिता
- 5.6.12 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उचित व्यवहार संहिता।
- 5.6.13 आरईसी के इक्विटी शेयरों का आंतरिक व्यापार के निवारण हेतु संहिता
- 5.6.14 आरईसी के विवेकपूर्ण मापदंड

5.7 ऋण एवं वसूली अनुभाग

- 5.7.1 ऋण नीति परिपत्र
- 5.7.2 वसूली दिशानिर्देश
- 5.7.3 विवेकपूर्ण मानदंड
- 5.7.4 उचित व्यवहार संहिता
- 5.7.5 अल्पकालिक ऋण मूल्यांकन नीति

5.8 आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग

- 5.8.1 आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल
- 5.8.2 वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम

5.9 सतर्कता प्रभाग

सतर्कता प्रभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा /अथवा विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित/जारी नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मैनुअलों इत्यादि का दृढ़ता से अनुपालन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिचालित/जारी नियम जनता के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिनका लिंक भी आरईसी की वेबसाइट के साथ है। सतर्कता प्रभाग, आरईसी(सीडीए) नियमावली में निहित नियमों, विनियमों और अनुदेशों का भी दृढ़ता से अनुपालन करता है।

5.10 विधि अनुभाग

- i) निगम के नियमों, विनियमों और अनुदेशों को विधि अनुभाग द्वारा अपनाया जाता है।
- ii) विधि अनुभाग द्वारा रखे गए अभिलेख, केवल निगम के विधि मामलों से संबंधित हैं।
- iii) मैनुअल केवल आंतरिक प्रयोजन के लिए हैं।